

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर(सत्यापन)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
समस्त सांख्यकीय / अपर सांख्यकीय अधिकारी वाणिज्य कर 30प्र0
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन) उत्तर प्रदेश ।
मुख्यालय पर तैनात समस्त अधिकारियों को ।

कृपया शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-9/1/1973-कार्मिक-1 दिनांक 24-10-1978 तथा तत्क्रम में शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-13/18/1985-कार्मिक-1 दिनांक 15-07-1985 के क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-11 दिनांक-02-04-2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों को चल / अचल सम्पत्ति की घोषणा प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल के स्थान पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये गये थे, साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने कार्य विवरण के साथ प्रत्येक वर्ष चल / अचल सम्पत्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी ।

2- अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 से संबंधित अपना चल/अचल सम्पत्ति का विवरण इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में दि० 30-04-2019 तक अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर को अवश्य उपलब्ध करा दें । जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त सम्पत्ति विवरण स्वयं के विवरण सहित दिनांक 16-5-2019 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

3- संबंधित अधिकारी अपने लांग इन आई०डी० से विभागीय ई०आई०एम०एस० माड्यूल में अपलोड प्रापर्टी फाइल में जाकर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का चयन करते हुये अपनी सम्पत्ति विवरण की पी०डी०एफ० फाइल अनिवार्य रूप से दिनांक 30-04-2019 तक अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी 2018-2019 के अपने वार्षिक कार्य-विवरण के प्रारूप में यथा स्थान सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने विषयक पत्र संख्या व तिथि का उल्लेख करते हुए उसकी एक प्रति भी साथ में संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही मुख्यालय के परिपत्र सं०-चरित्र पंजिका / परिपत्र / सामान्य वार्षिक प्रविष्टि /2018-2019 /66/ वाणिज्य कर दिनांक-05-04-2018 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आनलाइन ए०सी०आर० माड्यूल में भी वर्ष 2018-2019 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

5- प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अधीनस्थ अधिकारियों से सम्पत्ति का विवरण प्राप्त करके वार्षिक मन्तव्य के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों से चल अचल सम्पत्ति के विवरण प्राप्त हो गये है ।

उक्त परिपत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र0 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है ।

संलग्नक :-उक्त ।

28.3.2019
(यशु रूस्तगी)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चल / अचल सम्पत्ति का विवरण वित्तीय वर्ष 2018-19

घोषणा पत्र का प्रारूप

(नियम-24)

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हो)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि उसके पश्चात मैं कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा तो मैं संबंधित अवधि की वार्षिक योजना में उस तथ्य को घोषित करूँगा।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पूरा पदनाम

दिनांक

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिए जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हैं)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है :-

भू-सम्पत्ति

भूमि जिस जिले में है	गाँव/तहसील	क्षेत्रफल एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

गृह-सम्पत्ति

क्र०सं०	गृह, ग्राम, कस्बा या नगर	पो० स्थित जिला	गृह की संख्या	भवन अर्जित या पैतृक है तो अर्जित करने का दिनांक	भवन स्वयं के प्रयोजन के लिए / काम में आता है अथवा किराये पर दिया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा तो संबंधित अवधि को वार्षिक योजना में तथ्य की घोषणा करूँगा।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पूरा पदनाम

दिनांक

(2)

अवशेष अचल सम्पत्ति में बंधक या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्ति भी सम्मिलित है।

किसी भी अधिकारी की पत्नी या उनके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो या साथ रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, रखी गयी या उसकी ओर से अर्जित की जानेवाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखी गयी तथा उसके द्वारा की गयी समझी जायेगी।

(ग)

उन लोगों के लिए जिनके अंश या विनिधान नहीं है मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान (स्वामी नहीं हूँ) इसके पश्चात यदि मैं कोई अंश अर्जित करता हूँ तो मैं संबंधित अवधि के लिए पंचवर्षीय योजना में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पूरा पदनाम

दिनांक

उन व्यक्तियों के लिए जो अंशों के स्वामी हो या जिनके अन्य विनिधान हो। मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे निम्नलिखित अंश एवं विनिधान है :-

अंश

क्र०सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान

क्र०सं०	विवरण	विनिधान करने का दिनांक	मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

यदि मैं और अंश अर्जित करता हूँ या अन्य विनिधान करता हूँ तो मैं संबंधित अवधि के लिए वार्षिक योजना में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पूरा पदनाम

दिनांक